न्यायालय बईजलास ज्ञानमल खटीक आर.ए.एस. सहायक कलक्टर(उपखंड अधिकारी) बेगूँ
जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्या :-- 105/2015

1. लादूलाल पिता स्व. बरदा धाकड़, निवासी रामनगर उर्फ तारापीपली, तहसील बेगूँ
2. पप्पूलाल पुत्र स्व. बरदा जी धाकड़ आयु वयस्क निवासी रामनगर उर्फ तारापीपली तह. बेगूँ
3. सत्यनारायण पुत्र स्व. बरदाजी धाकड़ आयु वयस्क, निवासी रामनगर, उर्फ तारापीपली तह. बेगूँ
4. देवीलाल पुत्र स्व. बरदाजी धाकड़ आयु वयस्क, निवासी रामनगर, उर्फ तारापीपली तह. बेगूँ
5. बाली पुत्र स्व. बरदाजी धाकड़ आयु वयस्क, निवासी रामनगर, उर्फ तारापीपली तह. बेगूँ
6. धीसीबाई बेवा बरदाजी धाकड़ आयु वयस्क, निवासी रामनगर, उर्फ तारापीपली तह. बेगूँ

... वादीगण

बनाम

1. श्रीमति धापू पुत्री मोड़ा धाकड़ निवासी तारापीपली हाल पत्नि देवीलाल धाकड़ निवासी सोनगर, खेड़ा तह. बेगूँ
2. शांति पुत्री मोडाजी धाकड़ी नि0 तारापीपली हाल पत्नि देवीलालजी धाकड़ नि0 चेंची तह. बेगूँ
3. शम्भूलाल पुत्र देवाजी धाकड़ उम्र बालिग नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
4. मोती पुत्र लखमा जी धाकड़ उम्र बालिग नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
5. शंकर पुत्र गोपीजी धाकड़ उम्र बालिग नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
6. शांतिलाल पुत्र गोपीजी धाकड़ उम्र बालिग नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
7. सुगनी पुत्री मांगीलालजी धाकड़ उम्र बालिग नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
8. सीता पुत्री मांगीलालजी धाकड़ उम्र बालिग नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
9. लाड पुत्री मांगीलालजी धाकड़ उम्र बालिग नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
10. पन्नालाल पुत्र मांगीलाल धाकड़ उम्र बालिग नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
11. लीलाशंकर पुत्र मांगीलाल धाकड़ उम्र बालिग नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
12. बदाम मृतक के बजाय पति गोपीजी धाकड़ नि0 खेरड़ी तह. बेगूँ
13. प्रकाश पुत्र गोपीजी धाकड़ उम्र बालिग नि0 खरड़ी तह. बेगूँ
14. नरेश पुत्र गोपीजी धाकड़ आयु बालिग नि0 खरड़ी तह. बेगूँ
15. सरिता पुत्री गोपीजी धाकड़ आयु बालिग नि0 खरली तह. बेगूँ
16. लाड पुत्री गोपीजी धाकड़ आयु बालिग नि0 खरड़ी तह. बेगूँ
17. शम्भू पुत्र देवा धाकड़ आयु बालिग नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
18. मृतक काना के बजाय छीतर पुत्र काना धाकड़ नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
19. मृतक परथा के बजाय पौत्र देवीलाल पुत्र भैरूलाल धाकड़ नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
20. सरिता पुत्री भैरूलाल धाकड़ नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
21. मृतक जोधा के बजाय पुत्र भूरालाल पुत्र जोधा धाकड़ नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
22. नाराणी पुत्री जोधाजी धाकड़ आयु बालिग नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
23. लाड़ पुत्री जोधाजी धाकड़ आयु बालिग नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
24. नानालाल पुत्र कजोड़जी धाकड़ आयु बालिग नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
25. लाली पुत्री कजोड़ आयु बालिग नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
26. प्रेमचंद पुत्र मुतबन्ना छगनलाल धाकड़ नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
27. देवीलाल पुत्र बरदीचन्द धाकड़ नि0 तारापीपली तह. बेगूँ

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

28. कस्तूरी पुत्री बरदीचन्द धाकड़ नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
29. भोली पुत्री बरदीचन्द धाकड़ नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
30. बरदी बेवा बरदीचन्द धाकड़ नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
31. खेरिंग पुत्र कूका धाकड़ नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
32. भूरा पुत्र कूका धाकड़ नि0 तारापीपली तह. बेगूँ
33. श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदारसाहब बेगूँ
34. श्रीमान् शाखा प्रबंधकजी चित्तौड़गढ़ सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बेगूँ
35. श्रीमान् शाखा प्रबंधकजी राज0 बड़ौदा ग्रामीण बैंक शाखा ठुकराई।
36. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चितौड़गढ़ प्रतिनिधि राज0 राज्य।

... प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री एस.के. बिल्लू
अधिवक्ता वादीगण
श्री पारस कुमावत
अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक ::– 11.01.2017

निर्णय वाद पत्र अ0ध0 53–88–188 आ.टी.एक्ट

वादीगण द्वारा वाद पत्र अं.आ.7 नि.1, 2 दी.प्र.सं. में प्रस्तुत कर निवेदन इस प्रकार किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1 से लगाकर 32 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की अविभाजित कृषि भूमि ग्राम रामनगर उर्फ तारापीपली प.ह. शादी तह. बेगूँ में स्थित हैं जिसका वर्णन निम्न प्रकार है :–

(ए)	आराजी नं0	रकबा हैक्टर में	लगान
	183	0.2020 है0	21.70
	260	0.0570	12.40
	265	0.0490	2.48
	266	0.0810	6.68
	269	0.1940	1.68
	किता– 5	0.5830 हैक्टर	5.82
(बी)	186	0.0970 है0	1.80
(सी)	290 / 183	0.1380 है0	2.48

यह निवेदन किया कि कलम संख्या एक में वर्णित कृषि भूमि में हम वादीगण का 1/4 हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार कलम संख्या एक बी. में हक हिस्सा निहित है, इसी प्रकार कलम नं0 एक सी. में हक हिस्सा निहित है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण में सीमा विवाद बना रहता है इसीलिए हम वादीगण ने प्रतिवादीगण सं0 एक से लगाकर बत्तीस तक को तहसील में चलकर विभाजन (बंटवारा) कराने हेतु दिनांक 18.06.2015 ई0 को कहा तो उन्होंने विभाजन कराने से मना कर दिया एवं लड़ाई झगड़े पर उतारू हो गए इसीलिए न्यायालय श्रीमान् में यह वादपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई है।

उपखण्ड अधिकारी
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार से है :—

सोराम (फौत)
|
लखमा	रूपा (फौत)
मोती	मोडा (फौत), बरदा (फौत)
बेचान की शम्भूलाल को	

लखमा → मोती → बेचान की शम्भूलाल को

रूपा (फौत) → मोडा (फौत), बरदा (फौत)

मोडा (फौत) → धापू, शांति

बरदा (फौत)
|--लादू
|--पप्पू
|—सत्यनारायण
|—देवीलाल
|--बाली
|—धीसीबाई—बेवा

यह भी निवेदन किया कि मांगीलाल पिता गोपी नि0 ताराफीपली की मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारिसान को प्रतिवादी संख्या 7 से लगाकर 11 तक प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। बदाम पुत्री गोपी की भी मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारिसान को प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 12 से 16 तक पक्षकार बनाया गया है। देवा पिता धीसा की भी मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारिस शम्भूलाल को प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है। जोधा पिता धीसा की भी मृत्यु हो चुकी है जिनके विधिक वारिसान को प्रतिवादी संख्या 21 से 23 तक प्रकरण में पक्षकार बनाया है। मृतक काना के बजाय छीतर एवं मृतक परथा के बजाय पौत्र देवीलाल को प्रकरण में पक्षकार बनाया है।

कलम संख्या एक में ए. बी. सी. भाग में वर्णित कृषि भूमि का हम वादीगण को अपने हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का विभाजन किये जाने हेतु न्यायालय श्रीमान् में वाद प्रस्तुत है। वाद खातेदारी घोषणा एवं विभाजन प्रतिवादीगण हमारे हक हिस्से की कृषि भूमि में किसी प्रकार की कब्जा भी नहीं करें, इस हेतु उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से भी पाबंद फरमाया जावे।

भूमिधारी तहसीलदार सा. प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से एवं भूमि भूमि विकास बैंक सहकारी शाखा बेगूं एवं बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा दुकराई के रहन होने से एवं जिला कलक्टर सा. राज्य के प्रतिनिधि होने से प्रकरण में पक्षकार बनाये गये हैं। वर्णित कृषि भूमि न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने वादपत्र प्रस्तुत किया गया है एवं वादमूल्य दस लाख रुपये आंका गया है।

वादीगण न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना करते हैं कि प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार फरमाया जाकर वादीगण के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री जारी फरमाई जावे:—

1. कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का हम वादीगण को हमारे हक हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का विभाजन (बंटवारा) किया जाने की डिक्री जारी फरमायी जावे। कलम सं. एक ए में 1/4 हक हिस्सा, कलम संख्या एक बी. में 1/4 हक हिस्सा, कलम संख्या एक सी. में 1/4 हक हिस्सा हम वादीगण का अलग किया जाकर रेवेन्यु रेकार्ड में भी खाता अलग किये जाने की डिक्री जारी फरमाई जावे।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

2. बाद खातेदारी घोषणा एवं विभाजन प्रतिवादी संख्या 1 से लगाकर 32 तक को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि हमारे हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न ही किसी अन्य से करावें।
3. वादव्यय एवं अभिभाषक शुल्क हम वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे। अन्य कोई दाद जो सुलभ वादीगण हो वह भी प्रदान की जावे।

उपरोक्त वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जाँच दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 7 से 11 की ओर से अधिवक्ता श्री एल.आर. कुमावत द्वारा अपना अधिकार पत्र पत्रावली में प्रस्तुत किया एवं प्रति. सं. 1 से 6 एवं 12 से 32 तक की अलग से अंडरटेकिंग ली गयी।

पत्रावली को लोक अदालत कैंप शादी पर रखाया जाकर दोनों पक्षों को सुना जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों नकल जमाबंदी का अवलोकन किया जाकर दावा निम्न प्रकार से प्राथमिक डिक्री किया गया:-

अतः वाद वादीगण का अ0धा0 53-88-188 आर.टी. एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा रामनगर उर्फ तारापीपली प.ह. शादी की आ.सं. 186 रकबा 0.0970 है0 आ.सं. 290/183 रकबा 0.1380 है0 एवं आ.सं. 183, 260, 265, 269, किता 5 रकबा 0.5830 है0 भूमि में वादीगण का हिस्सा 1/4 घोषित किया जाता है। शेष हिस्से में प्रतिवादीगण बदस्तूर जमाबंदी अनुसार रहेंगे। आराजी में वादीगण का हिस्सा 1/4 व शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का रखते हुए आराजी का अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी अनुसार कब्जे को ध्यान में रखकर विभाजन करने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1000/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को दी जाकर फर्द बटवारा रिपोर्ट तलब की जावे।

प्रकरण में प्राथमिक डिकी की पालना में भू-अभिलेख निरीक्षक वृत ठुकराई द्वारा फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसे तहसीलदार बेगूँ द्वारा उनके पत्र कमांक 497 दिनांक 08.07.2016 से प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत फर्द बंटवारा रिपोर्ट पर अधिवक्ता वादीगण को सुना गया जिन्होंने प्रस्तुत फर्द बंटवारा रिपोर्ट प्राथमिक डिकी अनुसार होने से दावा अंतिम डिकी किया जाने का निवेदन किया गया।

अतः वाद वादीगण का अ0धा0 53-88-188 आर0टी0एक्ट का मुताबिक फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिकी किया जाता है। मौजा ग्राम रामनगर उर्फ तारापीपली प.ह. शादी तह. बेगूँ की उक्त वर्णित आराजीयात का विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:-

1. वादी :-

लादूलाल पप्पूलाल सत्यनारायण देवीलाल बालो पि0 बरदा मु. धीसी बाई प. स्व. बरदा धाकड़ सा.देह खातेदार

आराजी नं0	रकबा है0 में	लगान	हिस्सा
183	0.2020	3.38	संपूर्ण

2. प्रतिवादीगण :-

(क) मांगीलाल शंकर शांतेलाल बदाम पि. गोपी काना परथा जोधा देवा पि. घीसा धाकड़ सा0देह खातेदार :

आराजी नं0	रकबा है0 में	लगान	हिस्सा
186	0.0970	1.80	संपूर्ण

(ख) शंकरलाल पि. गोपी शम्भूलाल पि. देवा धाकड़ सा0देह खातेदार :

आराजी नं0	रकबा है0 में	लगान	हिस्सा
260	0.0570	0.14	संपूर्ण
265	0.0490	0.42	संपूर्ण
266	0.0810	0.20	संपूर्ण
269	0.1940	1.68	संपूर्ण
किता 4 कुल रकबा 0.3810है0		2.44	

3. प्रेमचन्द मु. छगनलाल देवीलाल कस्तुरी भोली पि0 बरदीचन्द बरदी प.स्व. बरदीचन्द रामेश्वरलाल गेन्दमल पि. खेरिंग नन्दुबाई प.स्व. खेरिंग भूरा पि. कूका शंकरलाल पि. गोपी धाकड़ सा.देह खातेदार :–

आराजी नं0	रकबा है0 में	लगान	हिस्सा
290/183	0.1380	2.48	संपूर्ण

साथ ही प्रतिवादीगण संख्या 1 से 32 तक को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न करावें न ही किसी अन्य से करावें।

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण का खाता राजस्व रेकार्ड में पृथक–पृथक दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2017 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

11/1/17

(ज्ञानमल खटीक)
सहायक कलेक्टर
(उपखंड अधिकारी), बेगूँ